कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7) 2022–23 / विकास / प्रमुवस / 9062 दिनांक: 05/10/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 266 (सामान्य वाद विवाद घोषण संख्या 40) की अनुपालना में प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रो तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लव कुश वाटिका विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 8908 दिनांक 04.10.2023 द्वारा आवंटित बजट में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जैसलमेर के पत्रांक 2568 दिनांक 05.10.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है:–

(राशि रू. लाखो में)

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व मे आवंटित बजट बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022–23) हेतु	संशोधित आवंटित बजट बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022–23) हेतु
4406–02–112–01–01–16 लघु निर्माण कार्य	वन्यजीव, जोधपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जैसलमेर	66.00	18.80
	जोधपुर	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	0.00	47.20

1. उक्त आंवटित बजट का उपयोग करते समय इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 553–23 दिनांक 01.05.2023 से जारी दिशा – निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
2. उक्त आंवटित राशि का सम्पूर्ण उपयोग 31 अक्टुबर, 2023 तक सुनिश्चित किया जावे।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे।

(पी.के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2022–23 / विकास / प्रमुवस / 9063-72 दिनांक: 05.10.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर / वन्यजीव जोधपुर
3. वित्तिय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, वन्यजीव जैसलमेंर / जैसलमेर
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु) / रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर